रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1987/भाद्र 24, 1909
No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1987/BHADRA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सं० 217/87—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क

सा०का०नि० 782(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय

उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 में, —

(1) नियम 9क के उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि जहां ऐसी सामग्री या घटक पुर्जे कारखाने से गृह उपभोग के लिए शुल्क का संदाय करने पर हटाए जाते हैं, वहां ऐसा शुल्क किसी भी दशा में जमा की उस रकम से कम नहीं होगा जो नियम 56क के अधीन ऐसी सामग्री या घटक पुर्जों के संबंध में अनुज्ञात की गई है।" ;

(2) नियम 56क के उपनियम (3) क खंड (iii) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जहां ऐसी सामग्री या घटक पुर्जे कारखाने से गृह उपभोग के लिए शुल्क का संदाय करने पर हटाए जाते हैं, वहां ऐसा शुल्क किसी भी दशा में जमा की उस रकम से कम नहीं होगा जो उपनियम (2) के अधीन ऐसी सामग्री या घटक पुर्जों के संबंध में अनुज्ञात की गई है।"

[फा० सं० 224/4/87–के० उ० शु०–6]

ए० के० प्रसाद। अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th September, 1987

NOTIFICATION

No. 217/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 782(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby

makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixth Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944,—

(1) in rule 9A, after sub-rule (3A), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where such material or component parts are removed from the factory for home consumption on payment of duty, such duty shall in no case be less than the amount of credit that has been allowed in respect of such material or component parts under rule 56A." ;

(2) in rule 56A, in sub-rule (3), in clause (iii), after sub-clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where such material or component parts are removed from the factory for home use on payment of duty, such duty shall in no case be less than the amount of credit that has been allowed in respect of such material or component parts under sub-rule (2)."

[F. No. 224/4/87-CX. 6]

A. K. PRASAD. Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987